पूर्ण बेंच

आर. एस. नरूला, सी.जे. बाल राज तुली और

भोपिंदर सिंह ढिल्लों, *न्यायमूर्ति के समक्ष*

डॉ. हरकिशन सिंह, -*याचिकाकर्ता।*

बनाम

भारत संघ, आदि- *उत्तरदाता।*

सिविल रिट 1974 *की सं.* 266

9 अक्टूबर, 1974.

पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम (1949 का III) - धारा 1 (2), 1 (3) और 2 (जे) - पंजाब पुनर्गठन अधिनियम (1966 का XXXI) - *धारा* 87 *से* 89 - *पंजाब पुनर्गठन* (चंडीगढ़) *(राज्य और समवर्ती विषयों पर कानूनों का अनुकूलन) आदेश (* 1968*) - पैरा* 1, 2 *और* 4 *किराया प्रतिबंध अधिनियम- चाहे वह पूरे राज्य क्षेत्र में या अब चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र वाले क्षेत्रों के किसी भी हिस्से में नियत दिन से पहले लागू हो - ऐसा अधिनियम - क्या अधिनियम की धारा* 1 (3) *के तहत अधिसूचना द्वारा राज्य क्षेत्र पर लागू किया जा सकता है - धारा 88,* पुनर्गठन अधिनियम - *क्या पंजाब राज्य के किसी हिस्से में लागू नहीं होने वाले किसी कानून को राज्य के उस हिस्से में लागू नहीं किया जाता है जब वह एक उत्तराधिकारी राज्य का हिस्सा बनता है।*

पंजाब पुनर्गठन (चंडीगढ़) (राज्य और समवर्ती विषयों पर कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 1968 के पैरा 4 से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल 'मौजूदा कानून', जैसा कि आदेश के पैरा 2 (एल) (बी) में परिभाषित किया गया है, को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आवेदन के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949 की धारा 1 (2) के अनुसार, अधिनियम की धारा 2 (जे) में परिभाषित 'मौजूदा पंजाब राज्य' के सभी शहरी क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू हो गया और 25 मार्च, 1949 को तुरंत लागू हुआ, जब इसे अधिनियम की धारा 1 (3) के तहत पंजाब सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। यह अधिनियम राज्य सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी भी अन्य शहरी क्षेत्र में लागू होने में सक्षम था। 1 नवंबर, 1966 से पहले ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, जिसमें अधिनियम की धारा 2 (जे) के तहत शहरी क्षेत्र के रूप में घोषित करके या इन क्षेत्रों के लिए एक नगरपालिका समिति या एक नगर समिति या एक अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन करके इस अधिनियम को लागू किया गया था। इसलिए, यह अधिनियम नियत दिन से ठीक पहले

पूरे या उन क्षेत्रों के किसी भी हिस्से में लागू नहीं था जो अब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शामिल हैं। यदि कोई अधिनियम पूरे राज्य पर लागू होता है, लेकिन इसे आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा उसके किसी भी भाग में लागू किया जा सकता है, तो ऐसी अधिसूचना उस क्षेत्र में अधिनियम के प्रवर्तन के लिए एक शर्त मिसाल है, जिसके लिए अधिसूचना जारी की जानी है या की जानी है। जब तक किसी अधिनियम को किसी विशेष क्षेत्र में लागू नहीं किया जाता है, तब तक वह उसमें लागू नहीं होता है । इन दो शब्दों का एकमात्र अर्थ यह है कि अधिनियम वास्तविक रूप से कार्य कर रहा होगा और इसके प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जा सकती थी। चूंकि यह अधिनियम नियत दिन से ठीक पहले केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शामिल क्षेत्रों पर लागू नहीं होता था या लागू नहीं था, इसलिए अधिनियम की धारा 1 (21) में पंजाब के संदर्भ को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए अधिनियम की धारा 1 (2) के तहत एक अधिसूचना द्वारा इन क्षेत्रों पर अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ या उसके किसी भी हिस्से में अधिनियम को लागू करने के लिए जारी की गई ऐसी कोई भी अधिसूचना अवैध है।

(*पैरा* 4, 5, 7 and 11).

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 88 उन कानूनों की निरंतरता को बनाए रखती है जो क्षेत्र के किसी भी हिस्से में लागू थे और यह अधिनियमित नहीं करता है कि कोई भी कानून जो 'मौजूदा पंजाब राज्य' के क्षेत्रों के एक हिस्से पर लागू होता है, उसे 'मौजूदा राज्य पुनियाब' में शामिल पूरे क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाना था और इस प्रकार पुनर्गठन के कारण सभी उत्तराधिकारी राज्यों पर लागू होना था। यह धारा केवल ऐसे क्षेत्रों में लागू कानूनों को जारी रखती है जिनमें वे नियत दिन से ठीक पहले लागू थे और उन्हें 'मौजूदा पंजाब राज्य के किसी अन्य क्षेत्र के लिए लागू नहीं करता है, जहां वे पुनर्गठन से पहले लागू नहीं थे।

(*पैरा* 4).

माननीय *न्यायमूर्ति बाल* राज *तुली* द्वारा 25 जुलाई, 1974 को मामले *में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए एक खंडपीठ को मामला सौंपा गया। माननीय न्यायमूर्ति बाल* राज *तुली और माननीय न्यायमूर्ति भोपिंदर सिंह ढिल्लों की खंडपीठ ने 26 अगस्त को मामले को आगे भेज दिया।* 1974 *पूर्ण पीठ के लिए। मुख्य न्यायाधीश आरएस नरूला, न्यायमूर्ति बाल* राज *तुली और माननीय न्यायमूर्ति भोपिंदर सिंह ढिल्लों की पूर्ण पीठ ने 9 अक्टूबर को मामले का फैसला किया।* 1974.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका *में अनुरोध किया गया है कि संशोधन अधिनियम की धारा 2 (*ii) (सी) *के प्रावधानों की घोषणा करते हुए सर्टिओरारी, मंडामस, निषेध या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए*। 1956 का 29) *अवैध के रूप में। यह भारत के संविधान* के *अनुच्छेद* 14.19 I (1) (जी) *और 31* के *प्रावधानों का उल्लंघन* करता है और *लागू की गई अधिसूचनाओं को रद्द करता है। एसओ* -3639, *दिनांक* /13 अक्तूबर, 1972 को चंडीगढ़ प्रशासन राजपत्र (अतिरिक्त), दिनांक *28 नवम्बर, 1972 में प्रकाशित* किया गया और उत्तरदाता सं 2008-09 को निदेश दिया गया। *1 और 2 फास्ट पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से बचें।* 1949. *और आगे उत्तरदाताओं को निर्देश दिया।* 1 *और* 2

पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं करने के लिए। 1949 में, *आश्वासन ो की तारीख से* 25 *वर्षों की* अवधि के लिए *अर्थात मई से।* 1959 *और आगे यह घोषणा करते हुए कि पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध* अधिनियम, 1949 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, चंडीगढ़ (राज्यों और समवर्ती विषयों पर कानूनों का अनुकूलन) आदेश, *1968 द्वारा अनुकूलित नहीं माना जा सकता है।* चूंकि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा *89* में प्रदान की गई दो वर्ष की वैधानिक अवधि *समाप्त हो गई है, जिसमें केंद्र सरकार को अनुकूलन करने का अधिकार दिया गया है, और यह भी घोषणा की गई है कि पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध* अधिनियम, 1949 1 नवंबर, *1968 के बाद मृत अधिनियम बन गया है* और *अब इसे अनुकूलित नहीं किया जा सकता है।*

याचिकाकर्ता की ओर से *अधिवक्ता* जेएस चावला, हरभगवान सिंह और कुलवंत चौधरी *पेश हुए।*

प्रतिवादी *1 और 2 की ओर से* वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद स्वरूप के साथ आर. एस. मित्तल और के. जी. चौधरी भी उपस्थित थे।

प्रतिवादी 3 की ओर *से जी. सी. मित्तल, आर. एल. बत्ता, एस. के. जैन और अरुण जैन, अधिवक्ता* ।

निर्णय

तुली न्यायमूर्ति—ये दो रिट याचिकाएं (1974 की सिविल रिट संख्या 266 और 1924) होंगी; इस फैसले से निपटाया जाए क्योंकि वे कानून का एक आम सवाल उठाते हैं।

(2) हरकिशन सिंह, उनकी पत्नी और दो बेटों ने 13 अक्टूबर, 1971 को पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से लेफ्टिनेंट कर्नल सुरजीत सिंह पड्डा से चंडीगढ़ के सेक्टर 8-बी में दुकान-सह-फ्लैट नंबर 7 खरीदा था। उस समय, तारा चंद जैन, प्रतिवादी 3, उन परिसरों के किरायेदार थे और उन्होंने याचिकाकर्ता के किरायेदार के रूप में काम किया। परिसर का किराया 300 रुपये प्रति माह था जो उन्होंने याचिकाकर्ता को नवंबर, 1971 से फरवरी, 1972 तक भुगतान किया था। याचिकाकर्ता, उनके दो बेटों और उनकी पत्नी ने प्रतिवादी 3 को संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 106 के तहत एक नोटिस जारी करके किरायेदारी समाप्त कर दी और परिसर खाली करने में उनकी विफलता पर, उन्होंने 12 मई, 1972 को उन्हें बाहर निकालने और किराए और नुकसान की बकाया राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी 3 द्वारा उठाई गई दलील यह थी कि उसने केवल याचिकाकर्ता को प्रताड़ित किया था, न कि अपनी पत्नी और बेटों को। उन्होंने अन्य आधारों पर भी मुकदमे का विरोध किया, लेकिन विद्वान वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश ने 25 जुलाई, 1973 को उन्हें निष्कासित करने के लिए एक डिक्री पारित की। उस डिक्री के खिलाफ, प्रतिवादी 3 ने एक अपील दायर की जिसे 1 दिसंबर, 1973 को विद्वान जिला न्यायाधीश ने खारिज कर

दिया। इस बीच, याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में डिक्री के निष्पादन पर मुकदमा दायर किया था, जिस पर प्रतिवादी 3 ने आपत्ति जताई थी। 9 नवंबर, 1973 को वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा निष्पादन आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 13 के तहत निष्पादन योग्य नहीं था, जिसे 13 अक्टूबर को केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर लागू किया गया था। 1972, भारत सरकार के राजपत्र, दिनांक 4 नवंबर, 1972 और चंडीगढ़ प्रशासन राजपत्र (असाधारण), दिनांक 28 नवंबर, 1972 में प्रकाशित। याचिकाकर्ता द्वारा उस अधिसूचना की वैधता को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी गई है:-

1. पूर्ववर्ती पंजाब राज्य ने चंडीगढ़ को अधिनियम और कुछ अन्य अधिनियमों के संचालन से 25 वर्षों के लिए छूट देने का निर्णय लिया था, जिसके तहत भूमि या भवनों पर कर लगाया जा सकता था और इस निर्णय को 23 मई, 1959 के एक प्रेस नोट के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार को 1984 से पहले चंडीगढ़ में अधिनियम लागू करने से रोक दिया गया था।

2. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (इसके बाद पुनर्गठन अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 89 के आधार पर, केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अपने आवेदन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नियत दिन से पहले बनाए गए किसी भी कानून को अनुकूलित करने का अधिकार दिया गया था और उस शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जारी किया। 1966 (चंडीगढ़) (राज्य और समवर्ती विषयों पर कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 1968 (इसके बाद अनुकूलन आदेश के रूप में संदर्भित), 20 नवंबर, 1968 की अधिसूचना द्वारा, जिसे 21 नवंबर, 1968 को चंडीगढ़ प्रशासन राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था, लेकिन उस आदेश के तहत अधिनियम को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आवेदन के लिए अनुकूलित नहीं किया जा सकता था। उस आदेश के पैरा 2(ख) में विद्यमान कानून की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए।

(3) सुनवाई में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अपनी दलीलों को केवल बिंदु संख्या 2 तक सीमित रखा और बिंदु संख्या 1 को बिल्कुल भी नहीं दबाया है और इसलिए, हमें यह निर्धारित करना होगा कि क्या बिंदु संख्या 2 में कोई सार है; बिंदु संख्या 1 पर कोई राय व्यक्त किए बिना।

(4) इस मामले को तय करने के लिए, पुनर्गठन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों

को निर्धारित करना आवश्यक है जो धारा 87, 88 और 89 हैं। ये प्रावधान निम्नानुसार हैं-

धारा 87। *चंडीगढ़ में धिनियमों का विस्तार करने की शक्ति।*

केन्द्र सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्रतिबंधों या संशोधनों के साथ, जो वह उचित समझे, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में ऐसे किसी भी अधिनियमन का विस्तार कर सकती है जो अधिसूचना की तारीख से किसी राज्य में लागू है।

धारा 88 । *कानूनों की क्षेत्रीय सीमा।*

भाग-II के उपबंधों को उन क्षेत्रों में कोई परिवर्तन करने वाला नहीं समझा जाएगा जिन पर नियत दिन से ठीक पहले लागू कोई विधि लागू होती है या लागू होती है और पंजाब राज्य के लिए ऐसी किसी विधि में प्रादेशिक संदर्भ, जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा उपबंधित न किया जाए, का अर्थ उस राज्य के भीतर के क्षेत्रों से नियत दिन से ठीक पहले लगाया जाना माना जाएगा।

धारा 89। *कानूनों को अनुकूलित करने की शक्ति।*

पंजाब या हरियाणा राज्य के संबंध में या हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में नियत दिन से पहले बनाई गई किसी भी विधि के आवेदन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, उपयुक्त सरकार, उस दिन से दो वर्ष की समाप्ति से पहले, आदेश द्वारा, कानून के ऐसे अनुकूलन और संशोधन कर सकती है, चाहे निरसन या संशोधन के माध्यम से, जो आवश्यक या समीचीन हो, और उसके बाद ऐसी प्रत्येक विधि किसी सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित किए जाने तक किए गए अनुकूलन और संशोधनों के अधीन प्रभावी होगी।

स्पष्टीकरण. इस खंड में, 'उपयुक्त सरकार' का अर्थ है:-

(क) संघ सूची में प्रगणित विषय से संबंधित किसी विधि के संबंध में, केन्द्रीय सरकार; और

(ख) जहां तक किसी अन्य विधि का संबंध है, -

1. राज्य, राज्य सरकार को इसके आवेदन में, और
2. केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार को इसके आवेदन में।

अनुकूलन आदेश के संगत प्रावधान निम्नानुसार हैं -

"1 (1) इस आदेश को पंजाब पुनर्गठन (चंडीगढ़) (राज्य और समवर्ती विषयों पर कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 1968 कहा जा सकता है।

2. इसे 1 नवंबर, 1966 से लागू माना जाएगा।

2(1) इस क्रम में-

a. 'नियत दिवस' का अर्थ है 1 नवंबर, 1966 का दिन;

b. 'मौजूदा कानून' का अर्थ है कोई भी राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम जो पूरे या अब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शामिल क्षेत्रों के किसी भी हिस्से में नियत दिन से ठीक पहले लागू होता है और इसमें ऐसे राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत बनाए गए कोई नियम, आदेश, उप-कानून, योजना, अधिसूचना या अन्य साधन शामिल हैं, लेकिन इसमें किसी मामले से संबंधित कोई कानून शामिल नहीं है। संघ सूची में परिगणित;

c. 'कानून' का वही अर्थ है जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 2 के खंड (जी) में है।

(2) सामान्य खंड अधिनियम, 1897, इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है क्योंकि यह एक केंद्रीय अधिनियम की व्याख्या के लिए लागू होता है।

(3) नियत दिन से, इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित मौजूदा कानून और केंद्रीय अधिनियम, जब तक किसी सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित नहीं किए जाते हैं, अनुसूची द्वारा निर्देशित अनुकूलन और संशोधनों के अधीन प्रभावी होंगे या, यदि यह निर्देशित है, तो निरस्त कर दिया जाएगा।

(4) जब कभी किसी मौजूदा विधि में (शीर्षक या प्रस्तावना में या किसी अधिनियमन के उद्धरण या विवरण में) कोई अभिव्यक्ति मुद्रित होती है, चाहे इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित कोई अधिनियम हो या नहीं, तो उस विधि को संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में लागू करने में, या जैसा भी मामला हो, उसके किसी भाग में, जब तक कि वह अभिव्यक्ति इस आदेश द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा होने के लिए निर्देशित नहीं की जाती है (अनुकूलित या संशोधित या छोड़ दिया जाना चाहिए, या जब तक संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो, तब तक उक्त तालिका के कॉलम 2 में उसके विपरीत निर्धारित अभिव्यक्ति के लिए उसके स्थान पर रखा जाएगा, और किसी भी वाक्य में भी ऐसा किया जाएगा जिसमें

वह अभिव्यक्ति होती है, ग्रामर के नियमों के अनुसार ऐसे परिणामी संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है:

सारणी

1. पंजाब राज्य	
पंजाब राज्य।	
पूरा पंजाब राज्य-	केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ.
या पंजाब जहां यह पंजाब राज्य को संदर्भित करता है	
2. पंजाब सरकार;	
पंजाब सरकार;	केंद्रीय सरकार।
पंजाब राज्य की सरकार.	
राज्य सरकार.	
पंजाब राज्य सरकार:	
3. पंजाब उच्च न्यायालय;	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
पंजाब उच्च न्यायालय.	

अनुकूलन आदेश के पैरा 4 से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल मौजूदा कानून, जैसा कि आदेश के पैरा 2 (एल) (बी) में परिभाषित किया गया है, को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आवेदन के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। इसलिए, यह निर्धारित किया जाना है कि क्या यह अधिनियम नियत दिन यानी 1 नवंबर, 1966 से ठीक पहले चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश में शामिल पूरे या किसी भी हिस्से में लागू था। इसमें कोई संदेह नहीं है

कि अधिनियम की धारा 1 (2) के अनुसार, यह अधिनियम की धारा 2 (जे) में परिभाषित 'मौजूदा पंजाब राज्य' के सभी शहरी क्षेत्रों में लागू हुआ, और 25 मार्च, 1949 को लागू हुआ, जब इसे पंजाब सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अधिनियम की धारा 1(3) के तहत। यह अधिनियम राज्य सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी भी अन्य शहरी क्षेत्र में लागू होने में सक्षम था। ऐसी कोई अधिसूचना कभी जारी नहीं की गई? 1 नवंबर, 1966 से पहले, अधिनियम की धारा 2 (जे) के तहत शहरी क्षेत्र के रूप में घोषित करके या इन क्षेत्रों के लिए एक नगरपालिका समिति या एक नगर समिति या एक अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन करके चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल पूरे या अब केंद्र शासित प्रदेशों के किसी भी हिस्से में अधिनियम को लागू करना। इसलिए, यह अधिनियम नियत दिन से ठीक पहले चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल पूरे या किसी भी हिस्से में लागू नहीं था: पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 के तहत, 'मौजूदा पंजाब राज्य' का हिस्सा बनने वाले किसी भी क्षेत्र में नियत दिन से ठीक पहले लागू कोई भी कानून पुनर्गठन के बाद भी क्षेत्र के उस हिस्से पर लागू होना जारी रखना था ताकि क्षेत्र को बनाए रखा जा सके। 'मौजूदा पंजाब राज्य' के क्षेत्रों में लागू होने वाले जबड़े की निरंतरता जिन्हें चार उत्तराधिकारी राज्यों में विभाजित किया जा रहा था। 'कानून' को पुनर्गठन अधिनियम की धारा 2 (जी) में किसी भी अधिनियम, नियम, विनियमन आदि के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें 'मौजूदा पंजाब राज्य' के क्षेत्रों के पूरे या किसी भी हिस्से में कानून का बल है। जैसा कि मैं पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 को समझता हूं, यह उन कानूनों की निरंतरता को बनाए रखता है जो क्षेत्र के किसी भी हिस्से में लागू थे और यह अधिनियमित नहीं करता है कि कोई भी कानून जो 'मौजूदा पंजाब राज्य' के क्षेत्रों के एक हिस्से पर लागू होता है, उसे 'मौजूदा पंजाब राज्य' में शामिल पूरे क्षेत्रों तक और इस प्रकार पुनर्गठन के कारण सभी उत्तराधिकारी राज्यों पर लागू किया जाना था। धारा 88 केवल ऐसे क्षेत्रों में लागू कानूनों को जारी रखती थी जिनमें वे नियत दिन से तुरंत पहले लागू थे और उन्हें 'मौजूदा पंजाब राज्य' के किसी अन्य क्षेत्र के लिए लागू नहीं किया था, जिसमें वे पुनर्गठन से पहले लागू नहीं थे। दूसरे शब्दों में, धारा 88 ने कोई कानून नहीं बनाया;इसने केवल उन क्षेत्रों में कानूनों को जारी रखा जिनमें वे नियत दिन से तुरंत पहले से ही लागू थे।

(5) पार्टियों के विद्वान वकील द्वारा तर्क 'बल में' शब्दों के अर्थ के आसपास केंद्रित थे। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि 'इन लागू' का अर्थ वास्तव में एक क्षेत्र में संचालन करना है ताकि इसके तहत कार्रवाई की जा सके और न केवल यह कि राज्य विधायिका ने इसे उस क्षेत्र में लागू किए बिना अधिनियमित किया था। स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोश, तीसरे संस्करण, खंड 2 में, 'लागू होकर' वाक्यांश के अर्थ निम्नानुसार दिए गए हैं: –

"बल में। —

1 मई, 1869 को लागू एक बीयरहाउस लाइसेंस (धारा 19, वाइन एंड बियरहाउस एक्ट, 1869 (32 और 33 वियत सी 27), का अर्थ है उस तारीख को अस्तित्व में एक लाइसेंस और जो उस समय जारी रहा है और अस्तित्व में रहता है जब इसके रेनेवाल (*हारग्रीव्स* बनाम वी *डॉसन* (1)) *के लिए आवेदन किया जाता है /*, आर बनाम कर्ज़न (2) , और ऐसा इसलिए है कि आवेदन उस धारा के तहत है या धारा 14 के तहत स्थानांतरण के लिए है। एलेहाउस अधिनियम, 1828 (9 भू 4; सी 61) (*फ्रीर* बनाम *मरे*; (3) *टावर जस्टिस बनाम चैंबर्स* (4) *में* लागू । इपोग *बनाम* सकान (5) में प्रतिष्ठित।

2 'स्वच्छता अधिनियमों' की व्याख्या में, सार्वजनिक स्वास्थ्य (आयरलैंड) अधिनियम, 1878 (41 और 42 वियत, सी. 52) की धारा 2 में, "लागू" का अर्थ है कुछ समय के लिए लागू" (धारा 31, सार्वजनिक स्वास्थ्य (आयरलैंड) अधिनियम, 1896 (59 और 60 वियत, सी 54)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह सामान्य अर्थ है।

3 भूमि न्यायाधीश द्वारा बिक्री के लिए एक पूर्ण आदेश धारा 48 (4), आयरिश भूमि अधिनियम, 1903 (3 एडडब्ल्यू सी 37) के भीतर 'लागू' नहीं है, अगर कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है (रे *होवलिन,* (6)।

(1) 24 एल.टी. 428.
(2) एल.आर. 8 क्यू. बी. 400.
(3) (1894) ए. सी 576.
(4) (1904) 2: के.बी. 903.
(5) (1903) ए. सी. 320
(6) (1906) 1 एल.आर. 303

(4) अधिनियम की एक धारा लागू हुए बिना भी चल सकती है, उदाहरण के लिए कृषि अधिनियम, 1947 (10 और 11 जियो 6, सी 48) की धारा 86, 1 अक्टूबर, 1947 को लागू की गई थी; हालांकि जब तक कोई आदेश नहीं दिया जाता तब तक इसे लागू नहीं माना जाना था।

सुंदर *सिंह* बनाम *फकीर चंद (7), एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने पंजाब* शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम (1941 का 10) की धारा 1 की उप-धाराओं (2) और (3) की व्याख्या

की। धारा 1 की उप-धारा (2) ने उस अधिनियम को पंजाब के सभी शहरी क्षेत्रों में इस शर्त के साथ विस्तारित किया कि "इसमें निहित कुछ भी किसी भी छावनी क्षेत्र में आवास के विनियमन को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा"। धारा 1 की उपधारा (3) निम्नानुसार पढ़ी गई है: –

> "यह ऐसे शहरी क्षेत्रों में और ऐसी तारीखों पर लागू होगा जो प्रांतीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में नियुक्त करे, और ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में उस क्षेत्र में इसके लागू होने की तारीख से पांच साल तक लागू रहेगा, जब तक कि ऐसी अवधि पंजाब विधान सभा के संकल्प द्वारा बढ़ाई नहीं जाती है।

(7) ए.आई.आर. 1948 ई.पी. 47

विद्वान न्यायाधीश के समक्ष तर्क दिया गया था कि धारा 1 की उप-धारा (2) के अनुसार, अधिनियम किसी भी छावनी क्षेत्र पर लागू नहीं होता है और धारा 1 की उप-धारा (3) के बावजूद, प्रांतीय सरकार को किसी भी छावनी में इसके प्रावधानों का विस्तार करने की कोई शक्ति नहीं है। निर्णय के निम्नलिखित पैरा में बताए गए कारणों के लिए इस तर्क को पूरी तरह से असमर्थनीय माना गया था: –

> "मैंने ऊपर जो कहा है, उससे यह देखा जाएगा कि उप-धारा (2) के शब्द उप-धारा (3) के पहले भाग में उपयोग किए गए शब्दों से काफी अलग हैं। उपधारा (2) में केवल यह निर्धारित किया गया है कि यह अधिनियम पंजाब के सभी शहरी क्षेत्रों पर लागू होगा, लेकिन उप-धारा (3) में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे किसी भी शहरी क्षेत्र में लागू होने के लिए प्रांतीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना आवश्यक है और अधिसूचना में शामिल शहरी क्षेत्रों में प्रवर्तन की तारीख होगी। अधिसूचना। यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी विशेष क्षेत्र तक विस्तारित अधिनियमन और उस क्षेत्र में इसके लागू होने के बीच काफी अंतर है और यह कि 'विस्तार' शब्द 'लागू होगा' वाक्यांश के समान नहीं है। जब यह किसी अधिनियमन में निर्धारित किया जाता है कि यह पूरे देश या उसके एक भाग पर लागू होता है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि यह उसमें भी लागू है, विशेष रूप से जब एक स्पष्ट प्रावधान है कि इसके लागू होने से पहले, कुछ और, जैसे अधिसूचना जारी करना, किया जाना है। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि भले ही यह तर्क के लिए स्वीकार किया जाए

> कि 'विस्तारित' शब्द, जब किसी अधिनियमन में बिना किसी योग्यता के उपयोग किया जाता है, तो इसे वाक्यांश 'लागू होगा' के अनुरूप माना जा सकता है, जब वे अधिनियमन की प्रयोज्यता से संबंधित एक ही धारा के दो उप-खंड दिखाई देते हैं, जिसमें से अनुभाग हिस्सा बनाता है, जाहिर है कि उनका मतलब एक ही बात नहीं हो सकता है। यह विधियों के निर्माण को नियंत्रित करने वाले मौलिक सिद्धांतों में से एक है। इस संबंध में 'संविधियों की व्याख्या' के मैक्सवेल के पृष्ठ 322 का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें यह कहा गया है कि जब अनुरूप शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो प्रत्येक को एक अलग और विशिष्ट अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील माना जा सकता है, क्योंकि विधायिका को बिना अर्थ के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए धारा 1 की उप-धारा (2) को धारा की उप-धारा (3) के साथ पढ़ने पर मेरी राय है कि विधायिका का इरादा सरकार को एक तैयार कानून प्रदान करना था और उसे किसी भी शहरी क्षेत्रों में और किसी भी तारीख से उस कानून को लागू करने के लिए सशक्त बनाना था।

इन टिप्पणियों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि भले ही कोई अधिनियम पूरे राज्य पर लागू होता है, लेकिन इसे आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा उसके किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है, ऐसी अधिसूचना उस क्षेत्र में अधिनियम के प्रवर्तन के लिए एक शर्त मिसाल है जिसके लिए अधिसूचना जारी की गई है या की जानी है।

(6) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ *ने केदामठ बनाम किशन लाल* (8) *मामले में* निम्नानुसार देखा: –

> "एक विशेष क्षेत्र जिस पर अधिनियम (यूपी (अस्थायी) किराया और बेदखली नियंत्रण अधिनियम, 1947) अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2-ए) के तहत लागू होता है, 'अधिनियम के शुरू होने की तारीख' वह तारीख है जिस पर यह लागू होता है। इस क्षेत्र पर अधिनियम लागू होने से पहले, जहां तक उस क्षेत्र का संबंध था, यह अस्तित्वहीन था। जिस दिन इसे लागू किया गया था, उस क्षेत्र में अधिनियम ने अपना जन्म लिया और इसमें शुरू हुआ।

(7) इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने दो फैसलों में संदेह से परे रखा है, जिन पर अब विचार किया जा सकता है। *सरदार इंदर सिंह* बनाम *राजस्थान राज्य और अन्य*

(9) विचारणीय मुद्दा यह था कि क्या राजस्थान (किरायेदारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम (1954 का 10) बुरा था क्योंकि यह 1949 के अध्यादेश संख्या IX के जीवन काल का विस्तार करने के लिए कहा गया था क्योंकि उक्त अध्यादेश पहले ही समाप्त हो चुका था। उनके लॉर्डशिप ने रिपोर्ट के पैरा 9 में प्रत्यायोजित कानून और सशर्त कानून के बीच अंतर किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि-

"एक क़ानून में एक प्रावधान जो किसी बाहरी प्राधिकरण को ऐसे समय में इसे लागू करने की शक्ति प्रदान करता है, जो वह अपने स्वयं के विवेक से, निर्धारित करता है, सशर्त है और प्रत्यायोजित कानून नहीं है, और यह तब तक मान्य होगा, जब तक कि संविधान अधिनियम में इस तरह के कानून को लागू करने की शक्ति पर कोई सीमा न हो।

(9) ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 510.

याचिकाकर्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि हालांकि विधायिका के लिए यह निर्णय लेने के लिए इसे किसी बाहरी प्राधिकरण पर छोड़ने के लिए सक्षम हो सकता है - जब एक अधिनियम लागू किया जा सकता है, तो यह उस प्राधिकरण को अधिनियम के जीवन काल को निर्धारित अवधि से आगे बढ़ाने के लिए अधिकृत करने के लिए सक्षम नहीं है। इस विवाद से निपटते हुए, उनके लॉर्डशिप ने कहा: -

"सिद्धांत रूप में, यह देखना मुश्किल है कि अगर कोई सक्षम है तो क्यों; दूसरा नहीं है। किसी बाहरी प्राधिकारी को किसी अधिनियम को उस समय लागू करने के लिए अधिकृत करने वाले विधायी प्रावधान को बनाए रखने का कारण यह है कि यह तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए क्योंकि वे एक निश्चित समय पर मौजूद हो सकते हैं कि क्या कानून को तब संचालित किया जाना चाहिए, और यह कि इस तरह के मुद्दे का निर्णय एक कार्यकारी प्राधिकरण पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस तरह के कानून को सशर्त कहा जाता है, क्योंकि विधायिका ने 'स्थान, व्यक्ति, कानून, शक्तियों' के संबंध में कानून को अपनी पूरी पूर्णता में बनाया है, जिससे किसी बाहरी प्राधिकरण के लिए कानून बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, उसे सौंपा गया एकमात्र कार्य ऐसे समय में कानून को लागू करना है जैसा कि वह तय कर सकता है। और इससे किसी विधान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आ सकता है क्योंकि यह सशर्त है कि विधायिका, स्वयं कानून बनाने और तथ्यों पर विचार करने के

> बाद, जैसा कि वे उस समय अस्तित्व में हो सकते थे, इसकी अवधि तय करने के बाद, किसी बाहरी प्राधिकारी को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अपने संचालन को आगे की अवधि के लिए बढ़ा सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि कानून बनाने वाले तथ्यों की स्थिति कायम है।

इन टिप्पणियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब तक किसी अधिनियम को किसी विशेष क्षेत्र में लागू नहीं किया जाता है, तब तक वह उसमें लागू नहीं होता है।

(8) बॉम्बे राज्य बनाम *सलात प्रागजी करमसी* (18) *मामले* में फैसला इस बात को और भी स्पष्ट करते हैं। संबंधित टिप्पणियां रिपोर्ट के पैरा 13 में पाई जाती हैं जो निम्नानुसार हैं -

> याचिका में कहा गया है, 'तब यह दलील दी गई थी कि बंबई अधिनियम (1887 का बंबई जुआ रोकथाम अधिनियम चतुर्थ) के कच्छ में लागू होने मात्र से यह प्रभावी हो गया और पूरे कच्छ में लागू हो गया. यह तर्क इस खामी से ग्रस्त है कि बॉम्बे अधिनियम की कच्छ धारा टी 1 को लागू करने में इसे बाहर रखना होगा जो प्रश्न को देखने का एक गलत तरीका होगा। *सही स्थिति यह है कि उपर्युक्त धारा1 में संशोधन सहित संपूर्ण अधिनियम कच्छ पर लागू होता है और इसलिए, कच्छ के किसी भी भाग में इसे लागू करने से पहले एक अधिसूचना आवश्यक थी। यह कच्छ पर लागू किया गया था, लेकिन अधिसूचना से पहले इसके प्रावधान परिचालन में नहीं थे।* (जोर दिया गया)।

इन टिप्पणियों से इस बात पर संदेह नहीं रह जाता है कि 'लागू' शब्द का अर्थ 'वास्तविक संचालन में' है; अर्थात, इसके प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। चूंकि यह अधिनियम अब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ या उसके किसी भी हिस्से में शामिल क्षेत्रों में लागू नहीं था, इसलिए 31 अक्टूबर, 1966 को चंडीगढ़ में अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। यदि यह अधिनियम पूरे या अब संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शामिल क्षेत्रों के किसी भी हिस्से में लागू नहीं था, जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, तो अधिनियम में क्षेत्र के संदर्भों को पुनर्गठन के बाद केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के संदर्भ के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि धारा 88 के तहत, दो शर्तें आवश्यक हैं, यही है, अधिनियम उन क्षेत्रों में विस्तारित या लागू होता था और उन क्षेत्रों में लागू होता था। यहां तक कि अगर यह स्वीकार किया जाता है कि अधिनियम अब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शामिल क्षेत्रों पर विस्तारित या लागू होता है क्योंकि ये क्षेत्र 'मौजूदा पंजाब राज्य' का हिस्सा थे, तो अधिनियम इन क्षेत्रों में लागू नहीं था क्योंकि इन क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र घोषित करने वाली धारा 2 (जे) के

तहत कोई अधिसूचना कभी जारी नहीं की गई थी। इस कारण से, पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 के तहत, अधिनियम की धारा 2 (1) में 'पंजाब' के स्थान पर 'केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़' शब्द नहीं पढ़ा जा सकता है।

(9) भारत संघ के विद्वान वकील श्री आनंद स्वरूप ने जोर देकर कहा है कि धारा 88 में लागू किसी भी कानून का अर्थ है कोई भी अधिनियमित कानून, चाहे वह चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश या उसके एक हिस्से में शामिल क्षेत्रों में लागू हो या लागू किया गया हो। मुझे खेद है कि मैं इस निवेदन से सहमत नहीं हूं। ऊपर पहले से बताए गए कारणों में, मैं केवल यह जोड़ना चाहता हूं कि कानून, जैसा कि पुनर्गठन अधिनियम की धारा 2 (जी) में परिभाषित किया गया है, का अर्थ किसी भी अधिनियम आदि से है, जिसमें कानून का बल है। यदि 'कानून' शब्द को यही अर्थ दिया जाना था, तो विधायिका को कानून के बाद 'लागू' शब्दों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन दो शब्दों को एक अर्थ दिया जाना चाहिए और एकमात्र अर्थ जो दिया जा सकता है वह यह है कि ऐसा कानून उन क्षेत्रों में वास्तविक संचालन में होना चाहिए जो अब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ या उसके एक हिस्से में शामिल हैं। केवल तभी यह कहा जा सकता है कि इस अधिनियम में कानून का प्रभाव था या उन क्षेत्रों में लागू था और पुनर्गठन अधिनियम के तहत गठित चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र या पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 या 89 के तहत इसके एक हिस्से में इसके आवेदन को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुकूलित किया जा सकता था।

(10) प्रतिवादी के वकील श्री सी जी एम सी मित्तल ने आग्रह किया है कि कोई भी कानून जो 'मौजूदा पंजाब राज्य' द्वारा नियत दिन से पहले बनाया गया था, उसे पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 के तहत अनुकूलित किया जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि यह नियत दिन से ठीक पहले उन क्षेत्रों पर लागू होता है या नहीं। यह निवेदन इस मामले में किसी निर्णय की मांग नहीं करता है क्योंकि अनुकूलन आदेश ने अनुकूलन के दायरे को केवल मौजूदा कानूनों तक सीमित कर दिया है, अर्थात, वे कानून जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ या उसके एक हिस्से में नियत दिन से ठीक पहले लागू थे और इस प्रकार हर दूसरे कानून को बाहर रखा गया था। चूंकि यह अधिनियम उन क्षेत्रों में लागू नहीं था, इसलिए अनुकूलन आदेश के पैरा 4 में उल्लिखित अनुकूलन के तरीके को पहले उस क्षेत्र पर लागू किए बिना अधिनियम को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में

अनुकूलित करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अधिनियम को लागू करने के लिए, पुनर्गठन अधिनियम की धारा 37 के तहत आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की जानी थी। किसी भी मामले में, अनुकूलन आदेश के पैरा 4 ने केवल उन कानूनों को अनुकूलित किया जो आदेश के पैरा 2 (एल) (बी) में परिभाषित मौजूदा कानून के विवरण का उत्तर देते हैं, न कि कोई अन्य कानून जो पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के किसी भी हिस्से में लागू था, लेकिन 1 नवंबर से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शामिल पूरे या किसी भी हिस्से में लागू नहीं था। 1966.

(11) प्रतिवादी के वकील ने पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 पर भरोसा किया है और आग्रह किया है कि उस धारा के अनुसार किसी भी अधिनियम में क्षेत्रीय संदर्भों को सभी उत्तराधिकारी राज्यों, अर्थात् पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य, हिमाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश के संदर्भ के रूप में स्थानांतरित क्षेत्रों और चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 या अनुकूलन आदेश के प्रावधानों के बावजूद। मुझे खेद है कि मैं इस निवेदन से सहमत नहीं हूं। मेरी राय में, पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 का अर्थ यह है कि कोई भी कानून जो पूर्ववर्ती पंजाब राज्य या उसके किसी भाग में नियत दिन से ठीक पहले लागू था, उन क्षेत्रों पर लागू रहेगा, भले ही उस राज्य का पुनर्गठन चार उत्तराधिकारी राज्यों में हुआ हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई कानून लुधियाना जिले में नियत दिन से ठीक पहले लागू था, और राज्य के किसी अन्य हिस्से में नहीं, तो यह उस जिले में लागू रहा और पुनर्गठन के कारण सभी उत्तराधिकारी राज्यों में लागू नहीं हुआ। *मेरी* राय है कि चूंकि यह अधिनियम नियत दिन से ठीक पहले केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अब शामिल क्षेत्रों पर लागू नहीं होता था या लागू नहीं था, इसलिए अधिनियम की धारा 1 (2) में पंजाब के संदर्भ को चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है और न ही इस अधिनियम को पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 के तहत अनुकूलित किया जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ या उसके किसी भी हिस्से में इसके आवेदन को सुविधाजनक बनाना। अधिनियम को पहले आवश्यक अनुकूलन के साथ पुनर्गठन अधिनियम की धारा 87 के तहत केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ या उसके किसी भी हिस्से पर लागू किया जाना था।

(12) श्री जी. सी. मित्तल ने तब प्रस्तुत किया है कि पुनर्गठन अधिनियम की धारा 2 (जी) में कानून की परिभाषा, जो अनुकूलन आदेश में 'कानून' शब्द की व्याख्या पर लागू होती है, में कोई भी अधिनियमन आदि शामिल है, जिसमें 'मौजूदा पंजाब' राज्य के पूरे या किसी भी हिस्से में नियत दिन से ठीक पहले कानून का बल था और चूंकि अधिनियम 'मौजूदा राज्य के एक हिस्से में' लागू था। नियत दिन से ठीक पहले, यह पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 के आधार पर चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश पर स्वचालित रूप से लागू हो गया, भले ही यह नियत दिन से तुरंत पहले उस क्षेत्र पर लागू न हो। मुझे इस तर्क को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है क्योंकि, मेरी राय में, पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 ने केवल 'मौजूदा पंजाब राज्य' में शामिल ऐसे क्षेत्रों में कानूनों के आवेदन को जारी रखा, जिन पर वे नियत दिन से तुरंत पहले लागू थे और किसी भी कानून का विस्तार या लागू नहीं करते थे, जो उस राज्य के एक हिस्से में लागू था। उत्तराधिकारी राज्यों के क्षेत्रों के लिए, भले ही यह नियत दिन से ठीक पहले उन क्षेत्रों में लागू न हो। दूसरे शब्दों में, धारा 88 ने उत्तराधिकारी राज्यों के लिए कानून लागू नहीं किए, लेकिन उन राज्यों के क्षेत्रों में मौजूदा कानूनों के आवेदन को जारी रखा, जहां वे लागू थे।

(13) यह भी बहुत जोर देकर कहा गया है कि अधिनियम की धारा 2 (जे) से पता चलता है कि अधिनियम पूरे पंजाब राज्य में लागू था क्योंकि इसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा शहरी क्षेत्र घोषित करके किसी भी क्षेत्र पर लागू किया जा सकता है। इस निवेदन में कोई दम नहीं है और इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। परिभाषा खंड किसी क्षेत्र के लिए अधिनियम की सीमा या प्रयोज्यता से संबंधित नहीं है। इस प्रयोजन रा्थ, इसकी सीमा निर्धारित करने वाले संविधि के उपबंध का संदर्भ दिया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 2(जे) में शहरी क्षेत्र की परिभाषा केवल राज्य सरकार को किसी भी क्षेत्र को शहरी घोषित करने की शक्ति प्रदान करती है और उस घोषणा के बाद ही यह अधिनियम उस क्षेत्र में लागू होगा। जब तक ऐसी घोषणा नहीं की जाती, तब तक उस क्षेत्र में अधिनियम लागू नहीं कहा जा सकता है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 2 (जे) पूरे पंजाब राज्य में लागू थी क्योंकि यह नियत दिन से पहले अस्तित्व में थी लेकिन अधिनियम के अन्य प्रावधान लागू नहीं थे। इस तर्क को सरल तरीके से यह पूछकर पूरा किया जा सकता है: क्या कोई 31 अक्टूबर, 1966 को कह सकता है कि यह अधिनियम उन क्षेत्रों में लागू था जो अब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शामिल हैं ताकि अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत विभिन्न प्रकार की इमारतों और किराए की भूमि के संबंध में कार्रवाई की जा सके, जिन पर यह लागू होता है? यहां तक कि प्रतिवादियों के वकील को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि नियत दिन से पहले

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शामिल क्षेत्रों में किसी भी भवन या किराए की भूमि के संबंध में अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई या कार्यवाही नहीं की जा सकती है, लेकिन इस बात पर जोर दिया जाता है कि इसे एक घोषणा द्वारा चंडीगढ़ पर लागू किया जा सकता है। केवल इसलिए कि कोई अधिनियम किसी भी क्षेत्र में लागू होने में सक्षम है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह वैधानिक प्रावधान के अनुसार लागू होने से पहले उस क्षेत्र में लागू है। इसलिए, मुझे इस निवेदन में भी कोई दम नजर नहीं आता।

(14) तब यह बताया गया है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अनुकूलित अधिनियम को चंडीगढ़ कोड, खंड II में मुद्रित किया गया है, जो दर्शाता है कि इसे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर लागू किया गया है। अधिनियम में, जैसा कि अनुकूलित किया गया है, धारा 1 (2) में लिखा है-

"धारा 1 (2)। यह केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सभी शहरी क्षेत्रों तक फैला हुआ है, लेकिन इसमें निहित कुछ भी किसी भी छावनी क्षेत्र में घर के आवास के विनियमन को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।

धारा 2 (जे)। 'शहरी क्षेत्र' का अर्थ है किसी नगरपालिका समिति, छावनी बोर्ड, नगर समिति या अधिसूचित क्षेत्र समिति या केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए अधिसूचना द्वारा घोषित किसी भी क्षेत्र को प्रशासित करना।

धारा 3 में केंद्र सरकार को राज्य सरकार के स्थान पर रखा गया है। संक्षेप में, अनुकूलन आदेश के पैरा 4 के अनुसार अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन, मेरी राय में, यह अनुकूलन अधिकार के बिना है और चंडीगढ़ कोड में अनुकूलित अधिनियम की छपाई यह मानने का कोई आधार नहीं है कि अधिनियम नियत दिन से ठीक पहले केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लागू था। प्रतिवादी 1 और 2 के विद्वान वकील श्री आनंद स्वरूप ने हरिचंद बनाम *निरंजन सिंह* (11) *मामले पर रिलायंस को रखा* है। *मेसर्स श्री लक्ष्मी कॉटन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड* बनाम *हरियाणा राज्य और दूसरा* (12), हरियाणा राज्य *बनाम देव दत्त गुप्ता और एक अन्य* (13) *और जरनैल सिंह* बनाम *केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य* (14) लेकिन उन मामलों में ऐसा कोई बिंदु शामिल नहीं था या निर्णय नहीं लिया गया था और वे स्पष्ट रूप से अलग-अलग हैं और कानून के उस बिंदु के निर्णय के लिए कोई मदद नहीं देते हैं जिसके साथ हम सामना कर रहे हैं।

(11) आई.एल.आर. (1964) 2 पंजाब 344.

(12) आई.एल.आर. (1969) 2 पंजाब और हरियाणा 23.
(13) आई.एल.आर. (1971) 1 P पंजाब और हरियाणा. 194.
(14) आई.एल.आर. (1972) 2 पंजाब और हरियाणा 498.

(15) ऊपर दिए गए कारणों के लिए, इस याचिका को स्वीकार किया जाता है और केंद्र सरकार की 13 अक्टूबर, 1972 की अधिसूचना, 4 नवंबर को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की जाती है; 1972 और चंडीगढ़ प्रशासन राजपत्र (असाधारण), दिनांक 28 नवंबर, 1972, को रद्द किया जाता है और यह माना जाता है कि अधिनियम को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ या उसके किसी भी हिस्से में लागू नहीं किया गया है। इसमें शामिल कानून के बिंदु की कठिन प्रकृति को देखते हुए, पार्टियों को उनकी लागत लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

(16) 1974 का सीडब्ल्यू 1924 बिल्डिंग ओनर्स एसोसिएशन, चंडीगढ़ और घरों के कुछ व्यक्तिगत मालिकों द्वारा किया गया है, और इसका भारत संघ, चंडीगढ़ प्रशासन और किरायेदारों के एक संघ द्वारा विरोध किया गया है। इस रिट याचिका में केवल उस अधिसूचना की वैधता के बारे में बताया गया है जिसे 1974 के सीडब्ल्यू 266 में रद्द कर दिया गया है। इस याचिका को भी उन्हीं शर्तों में स्वीकार किया जाता है और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

आर. एस. नरूला, सी.जे.-मैं सहमत हूं।

एस ढिल्लों, जे-मैं भी सहमत हूं।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

खुश करण जोत सिंह गिल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी